अनुदान संख्या 75 – लोक सभा
GRANT No. 75–LOK SABHA

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*32,00*	*28,33*	*–3,67*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*3,90*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	206,00,00	225,44,00	209,53,03	–15,90,97
पूरक	Supplementary	19,44,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				10,12,10

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के *प्रभारित* अंश में, अभ्यर्पित राशि (3.90 लाख रु.) 3.67 लाख रु. की कुल बचतों से अधिक हो गई।

2. अनुदान के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (1590.97 लाख रु.) दिसंबर, 2005 में प्राप्त किए गए 1944.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 82 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the grant, the amount surrendered (Rs.3.90 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.3.67 lakhs.

2. In the voted portion of the grant, the overall savings (Rs.1590.97 lakhs) constituted 82 percent of the supplementary grant of Rs.1944.00 lakhs obtained in December, 2005 and 7 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2011'' संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रा विधानमंडल	Major Head "2011" Parliament/State/Union Territory Legislatures				
मू.	O.	20600.00	21531.90	20953.03	–578.87
पू.	S.	1944.00			
पु.	R.	–1012.10			

(I) 1.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) शीर्ष ''संसद'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) ''लोक सभा सचिवालय - सचिवालय'' - 6345.90 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1944.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 8289.90 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो संबंधित अभिकरणों द्वारा सुरक्षा उपस्करों की आपूर्ति न किए जाने के कारण 182.66 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) ''लोक सभा सचिवालय - सदस्य'' - 1401.50 लाख रु. की बचत (14047.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, रेलवे प्राधिकारियों से डेबिट दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) Under “Parliament” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Lok Sabha Secretariat – Secretariat” – the original provision of Rs.6345.90 lakhs was augmented to Rs.8289.90 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1944.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.182.66 lakhs - due to non-supply of security equipments by the concerned agencies.

(B) “Lok Sabha – Members” – saving of Rs.1401.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14047.00 lakhs) was due to non-receipt of debit claims from New Delhi Municipal Council, Mahanagar Telephone Nigam Limited and Railway authorities.